



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082023-248193  
CG-DL-E-19082023-248193

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482]  
No. 482]

नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 19, 2023/श्रावण 28, 1945  
NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 19, 2023/SHRAVANA 28, 1945

वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)  
अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2023

संख्या 47/2023-सीमाशुल्क

**सा.का.नि. 616(अ).**—जबकि, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि कुछ वस्तुओं पर निर्यात शुल्क लगाया जाना चाहिए और ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो तत्काल कार्रवाई करने को आवश्यक बनाती हैं।

इसलिए, अब, केंद्र सरकार, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (इसके बाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 8 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निर्देश देती है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची को निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया जाएगा, अर्थात्: -

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की दूसरी अनुसूची में, क्र.सं. नंबर 1 को क्रमांक के रूप में पुनः क्रमांकित नंबर 1क किया जाएगा, और पुनः क्रमांकित क्रम संख्या 1क से पहले, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	0703 10	प्याज	50%".

[फा. सं. 190354/158/2023 -टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2023

**No. 47/2023-Customs**

**G.S.R. 616(E).**—Whereas, the Central Government is satisfied that export duty should be levied on certain articles and that circumstances exist which render it necessary to take immediate action.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)(hereinafter referred to as the Customs Tariff Act), the Central Government, hereby directs that the Second Schedule to the Customs Tariff Act shall be amended in the following manner, namely: -

In the Second Schedule to the Customs Tariff Act, Sl. No. 1 shall be re-numbered as Sl. No. 1A, and before Sl. No. 1A as so re-numbered, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)
"1.	0703 10	Onions	50%".

[F. No. 190354/158/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2023

**संख्या 48/2023- सीमाशुल्क**

**सा.का.नि. 617(अ).**—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में उल्लिखित वस्तुओं, जो कि उक्त सारणी के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की दूसरी अनुसूची के अध्याय, शीर्षक, उप शीर्षक या टैरिफ मद के अंतर्गत आती हैं, को, जब भारत से उनका निर्यात किया गया हो, उन पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की उक्त दूसरी अनुसूची के अंतर्गत लगाए जाने वाले सीमाशुल्क से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शुल्क की दर से संगणित राशि से अधिक होती हो, अर्थात्: -

**सारणी**

क्र. सं.	उप शीर्षक या टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	0703 10	प्याज	40%

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी और 31 दिसंबर, 2023 तक लागू रहेगी।

[फा. सं. 190354/158/2023 -टीआरयू]

अमृता टाइटस, उप सचिव

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th August, 2023

**No. 48/2023-Customs**

**G.S.R. 617(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts the goods of the description specified in column (3) of the Table below, falling within the Chapter, heading, sub-heading or tariff item of the Second Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), specified in the corresponding entry in column (2) of the said Table, when exported out of India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the said Second Schedule as is in excess of the amount calculated at the rate of duty specified in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely: —

**TABLE**

<b>Sl. No.</b>	<b>Sub-heading or tariff item</b>	<b>Description of goods</b>	<b>Rate of duty</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>
1.	0703 10	Onions	40%

2. This notification shall come into force with immediate effect, and will remain in force up to and inclusive of the 31<sup>st</sup> December, 2023.

[F. No. 190354/158/2023-TRU]

AMREETA TITUS, Dy. Secy.